रजिस्टर्ड डाक/द्वारा ई–मेल

राजस्थान सरकार
राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा भवन – गोविन्द मार्ग, जयपुर)

क्रमांक :एफ 1 ( )राजमेस/संस्था/राजपत्रित/2018/278 **दिनांक :** 09/02/2018

Dr. SANGEETA
C/o PURUSHOTTAM SHARMA,
WARD No. 16, NEW ROAD,
CHURU-331001
E-mail Add : sangeetakhedar@gmail.com

विषयः– कारण बताओ नोटिस।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप मेडिकल कॉलेज,चुरू में सहायक आचार्य(स्त्रीरोग) के पद पर कार्यरत है। प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज,चुरू ने अपने पत्रांक 113 दिनांक 30.01.2018 से अवगत कराया है कि आप बिना किसी पूर्व सूचना के उपस्थिति पंजिका में दिनांक 30.12.2017 का साप्ताहिक अवकाश एवं दिनांक 31.12.2017 का आकस्मिक अवकाश अंकित कर बिना किसी सूचना के आज दिनांक तक लगातार अपने कर्त्तव्य से स्वैच्छिक अनुपस्थित चल रही है। इस संदर्भ में पी.एम.सी. चुरू ने भी दिनांक 22.01.2018 को तत्काल अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित होने के लिए नोटिस रजिस्टर्ड डाक एवं ई–मेल द्वारा प्रेषित किया गया जिसका आपके द्वारा कोई प्रत्युतर नहीं दिया है और न ही कर्त्तव्य पर उपस्थित हुई। आपका स्वेच्छा से अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहना अनुशासनहीनता का द्योतक है एवं राजमेस के सेवानियम–2017 के नियम–30 के अन्तर्गत असंतोषजनक सेवा की श्रेणी में आता है।

आगामी एमसीआई के निरीक्षण के मध्यनजर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 228 दिनांक 01.02.2018 के द्वारा आपको मेडिकल कॉलेज, चुरू से आदेशो की प्रतीक्षा (ए.पी.ओ.) में राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर मुख्यालय पर किये जाने हेतु आदेश जारी किये गये है, किन्तु आदिनांक तक इनके द्वारा इस कार्यालय को अपनी उपस्थिति नहीं दी गई है।

अतः आपको इस नोटिस के जरिये सूचित किया जाता है कि क्यों न आपके उपरोक्त कार्य के आधार पर आपकी सेवाऐं असंतोषजनक मानते हुए समाप्त कर दी जावें। इस संबंध मे आप अपना जवाब 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि आपका जवाब निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं हुआ तो आपके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

समन्वयक
राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी,
जयपुर।

क्रमांक :एफ 1 ( )राजमेस/संस्था/राजपत्रित/2018 **दिनांक :**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं अध्यक्ष राजमेस सोसायटी जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष राजमेस सोसायटी, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, चुरू।
4. रक्षित पत्रावली।

समन्वयक
राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी,
जयपुर।